न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 1/2021/दावा 136 एलआरएक्ट

1. पप्पूदयाल उर्फ फूलचन्द पुत्र नारायणलाल जाति कुमावत निवासी पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियां वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक — 10.02.2021

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1919/2923, 1920, 1922 लगायत 1925, 1958 लगायत 1962 किता 11 कुल रकबा 4.32 है0 वाके ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित सयुक्त कब्जे काश्त की भूमि में 1/45 हिस्से की खातेदारी एवं भूमि खसरा नम्बर 665 लगायत 671, 695, 696, 697 किता 10 कुल रकबा 21.20 है0 में से 1/150 हिस्से की खातेदारी एवं खसरा नम्बर 554, 555, 646 लगायत 649, 651, 652, 653 किता 9 कुल रकबा 5.33 है0 में से 1/60 हिस्से की खातेदारी व खसरा नम्बर 557, 558, 559, 559/2811, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 किता 19 कुल रकबा 24.09 है0 वाके ग्राम हनुमानपुरा पटवार हल्का पचार तहसील दांतारमगढ जिला सीकर में से 1/120 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। उपराक्त भूमियों में वादी का नाम पप्पुदयाल पुत्र नारायण दर्ज है जबकि वादी के सम्सत लोक दस्तावेजात आधार कार्ड निर्वाचन विभाग का मतदाता पहचान पत्र राशन कार्ड आदि में वादी का नाम फुलचन्द पुत्र नारायण दर्ज है। वादी को ग्राम एवं परिवार में पप्पुदयाल एवं फुलचन्द दोनों नामों से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा इसी अनूरूप ही राजस्व रिकार्ड में भी वादी का नाम

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

होना चाहिए था किन्तु उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम केवल पप्पुदयाल पुत्र नारायण दर्ज है जिस वजह से वादी को राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ एवं कम ब्याज पर काश्त के लिए बैंक से प्राप्त होने वाली किसान कार्ड के रूप में कृषि ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आती है तथा न ही वादी अपने हक हिस्से की भूमियों में फसल खराब हाने से राज्य सरकार से मिलने वाली मुआवजा राशि प्राप्त कर पाता है इसलिए वादी उपरोक्त भूमियों में अपना नाम अपने लोक दस्तावेज के अनुसार एकरूपता के लिए पप्पुदयाल उर्फ फुलचन्द पुत्र नारायण दर्ज करवाने का अधिकारी है। वाद कारण वादी द्वारा उपरोक्त भूमियों में पप्पुदयाल पुत्र नारायण के स्थान पर लोक दस्तावेज के अनुसार सही नाम पप्पुदयाल उर्फ फुलचन्द पुत्र नारायण दर्ज करने का प्रतिवादी से आग्रह करने पर प्रतिवादी द्वारा नाम संशोधित करने से मना करने के कारण उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1919/2923, 1920, 1922 लगायत 1925, 1958 लगायत 1962 किता 11 कुल रकबा 4.32 है0 वाके ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तह0 दांतारामगढ तथा भूमि खसरा नम्बर 665 लगायत 671, 695, 696, 697 किता 10 कुल रकबा 21.20 है0 एवं खसरा नम्बर 554, 555, 646 लगायत 649, 651, 652, 653 किता 9 कुल रकबा 5.33 है0 व खसरा नम्बर 557, 558, 559, 559/2811, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 किता 19 कुल रकबा 24.09 है0 वाके ग्राम हनुमानपुरा पटवार हल्का पचार तहसील दांतारमगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम पप्पुदयाल पुत्र नारायण के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम पप्पुदयाल उर्फ फुलचन्द पुत्र नारायण दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी ने स्वयं तथा अन्य सहखातेदार छोटुराम पुत्र जवाना के बयान कलमबद्ध किये गये तथा निवेदन किया कि वादी का सही नाम पप्पुदयाल उर्फ फुलचन्द पुत्र नारायण किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम पप्पुदयाल पुत्र नारायण के स्थान

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

वादी का सही व वास्तिविक नाम पप्पुदयाल उर्फ फुलचन्द पुत्र नारायण दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी व सहखातेदार के लिए गये कलमबद्ध बयानों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के बयान एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 1919/2923, 1920, 1922 लगायत 1925, 1958 लगायत 1962 किता 11 कुल रकबा 4.32 है0 वाके ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तह0 दांतारामगढ तथा भूमि खसरा नम्बर 665 लगायत 671, 695, 696, 697 किता 10 कुल रकबा 21.20 है0 एवं खसरा नम्बर 554, 555, 646 लगायत 649, 651, 652, 653 किता 9 कुल रकबा 5.33 है0 व खसरा नम्बर 557, 558, 559, 559/2811, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 किता 19 कुल रकबा 24.09 है0 वाके ग्राम हनुमानपुरा पटवार हल्का पचार तहसील दांतारमगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम पप्पुदयाल पुत्र नारायण के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम पप्पुदयाल उर्फ फुलचन्द पुत्र नारायण दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6 / जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

पप्पुदयाल उर्फ फुलचन्द बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 01 / दावा सन 2021 निर्णय दिनांक, 10.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री नन्दलाल धायल, रतनलाल पलसानियां** मिनजानिब मुदददई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा** 1919 / 2923, 1920, 1922 लगायत 1925, 1958 लगायत 1962 किता 11 कुल रकबा 4.32 है0 वाके ग्राम पचार पटवार हल्का पचार तह0 दांतारामगढ तथा भूमि खसरा नम्बर 665 लगायत 671, 695, 696, 697 किता 10 कुल रकबा 21.20 है0 एवं खसरा नम्बर 554, 555, 646 लगायत 649, 651, 652, 653 किता 9 कुल रकबा 5.33 है0 व खसरा नम्बर 557, 558, 559, 559 / 2811, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 किता 19 कुल रकबा 24.09 है0 वाके ग्राम हनुमानपुरा पटवार हल्का पचार तहसील दांतारमगढ जिला सीकर **में** खातेदार वादी का नाम पप्पुदयाल पुत्र नारायण के नाम को दुरुस्त कर उसके स्थान पर पप्पुदयाल उर्फ फुलचन्द पुत्र नारायण संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.02.2021 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालेह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा ...	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प उजर सबूत ...	–	–	महनताना वकील पर ...		
महनताना वकील ...	–	–	खर्चा गवाहान ...		
खर्चा गवाहान ...	–	–	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर ...	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा ...		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	–	–	मुतफर्रिक ...	0	00
मुतफर्रिक ...	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी [illegible]